

न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12(RTI)/02/2025

रजि० नं० 2025/23

प्रवेश तिथि 23.09.2025

| अपीलार्थी :- | प्रत्यर्थी :- |
|---|--|
| विनोद कुमार पुत्र स्व० प्रेम चन्द शर्मा एल.एल.बी (पी) ए-21, एस.एफ - 5, एस.एल.एफ, वेद विहार (अंकुर विहार) लोनी गाजीयाबाद उत्तर-प्रदेश 201102 | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) |

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 08.10.2025

- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को ऑनलाईन प्रथम आवेदन पत्र संख्या 448033005007483 दिनांक 29.07.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावें।
- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर से जरिये नोटिस क्रमांक 1433 दिनांक 24.09.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 03.10.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने जयें पत्राक लोक. सूचना /2005/186-87 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2025 में वर्णित सूचनाओं के बाबत विलम्ब से सूचित किया गया है, अपील दर्ज हो जाने के पश्चात राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को निदेशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार नियत समयवधि का विशेष ध्यान रखा जाकर विधिवत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल रिकार्ड हो।
- आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवपाल जाट)

अति० जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा
खैरथल-तिजारा